निर्णय वइजलास श्री रामसिंह गुर्जर आर.ए.एस.
उपखण्ड अधिकारी छबडा जिला बारां द्वारा अध्यासित

प्रकरण संख्या 35/2020
दायरा दिनांकः—04.08.2020
निर्णय दिनांकः— 9.6.25

उनवान

1.बद्रीलाल आयु 53 वर्ष पुत्र भंवरलाल जाति कबाडी (बैरवा) निवासी तहसील छबडा जिला बारां (राज0)

बनाम

1. कन्या बाई आयु 55 वर्ष पुत्री भंवरलाल पत्नि प्रभूलाल जाति कबाडी (बैरवा) निवासी पुराना अस्पताल कबाडी मोहल्ला छबडा तहसील छबडा जिला बारां (राज0)
2. चमेली बाई आयु 52 वर्ष पुत्री भंवरलाल पत्नि त्रिलोक कुमार जाति कबाडी (बैरवा) निवासी खाई रोड माता के मन्दिर के पास कोटा (राज0)
3. राजस्थान सरकार जर्ये तहसीलदार तहसील छबडा जिला बारां (राज0)

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 आर0 टी0 एक्ट0

निर्णय दिनांकः— 9.6.25

अभिभाषक उपस्थितः—1. श्री नारायणलाल चौरसिया — प्रार्थी
2. श्री चिंरोजीलाल भार्गव — अप्रार्थी

अभिभाषक प्रार्थी द्वारा प्रार्थना पत्र अन्तर्गत 212 आर.टी.ए विरूद्ध अप्रार्थीगण के न्यायालय में इस आशय का पेश किया गया कि प्रार्थी एवं अप्रार्थीगण के शामलाती खातेदारी की भूमि खाता संख्या 219/388 की खसरा नम्बर 662 रकबा 07 बिस्वा खसरा नम्बर 667 रकबा 15 बिस्वा कुल किता दो रकबा 01 बीघा 02 बिस्वा एवं खाता संख्या 220/389 की खसरा नम्बर 666 रकबा 01 बीघा 03 बिस्वा कुल भूमि 02 बीघा 05 बिस्वा वाके ग्राम कस्बा छबडा तहसील छबडा में स्थित है। प्रार्थी का ही उक्त समस्त भूमि पर कब्जा काश्त है। प्रार्थी एवं आप्रार्थी कम 1 व 2 के पिता भंवरलाल ने वसीयत दिनांक 10.09.1987 को की थी कि अप्रार्थी कम 1 व 2 कन्याबाई, चमेलीबाई शादी व्याह में ओढनी पहरावनी भात वगैरहा पांचों भाई मिलकर करते रहेंगे और परिवार में मान सम्मान देते रहेंगे। पिता द्वारा की गई वसीयत दिनांक 10.09.1987 की पालना प्रार्थी एवं उसके पांचों भाई बराबर बराबर करते आ रहे हैं। इस तरह से पिता द्वारा वसीयत होने से उक्त विवादग्रस्त भूमि में अप्रार्थीगण का कोई हक व अधिकार नहीं रहेगा। 5. प्रार्थी एवं अप्रार्थीगण के पिता की मृत्यु दिनांक 20.03.1995 को हो चुकी है। पिता की मृत्यु के

उपखण्ड अधिकारी
छबड़ा (बारां)

ात हल्का पटवारी द्वारा रिपोर्ट के आधार पर इंतकाल कन्याबाई व चमेलीबाई का नाम ा खाते में जोड दिया गया। अप्रार्थीगण का खाते में नाम होने से उक्त विवादग्रस्त भूमि को बेचान कर खुर्द–बुर्द करने पर आमादा है। सुप्रीम कोर्ट फैसला दिनांक 05.11.2015 के अनुसार सितंबर 2005 से पूर्व पिता की मृत्यु हुई है तो हिंदू उत्तराधिकार (संशोधन) अधिनियम 2005 के प्रावधानों के अनुसार बेटी सम्पत्ति की वारिस नहीं हे सकती है। उक्त विवादगस्त भूमि अर्जित सम्पत्ति है। उक्त विवादग्रस्त भूमि के खातेदारी में अप्रार्थीगण का नाम होनेसे पिता द्वारा की गई वसीयत को धत्ता बताकर उक्त भूमि को बेचान करने पर आमादा है। वसीयत दिनांक 10.09.1987 एवं सुप्रीम कोर्ट के फैसले के अनुसार उक्त विवादग्रस्त भूमि में से अप्रार्थीगण का नाम खातेदारी से हटाया जाना न्यायौचित है। यदि अप्रार्थीगण ने उक्त भूमि को दान, रहन, बेचान या खुर्द–बुर्द कर दिया तो प्रार्थी को अपरिमित क्षति होगी। जिसकी पूर्ति किसी भी प्रकार से संभव नहीं हो सकेगी।

प्रार्थी का प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थीगण को जयँ सम्मन तलब किया गया। अप्रार्थीगण की ओर से जवाब पेश हुआ। प्रार्थी द्वारा अपने पक्ष के समर्थन में नकल जमाबन्दी ग्राम कस्बा छबडा सम्वत् 2074–77 खाता संख्या 219 नकल जमाबन्दी ग्राम कस्बा छबडा सम्वत् 2074–77 खाता संख्या 220 फोटो प्रति वसीयतनामा पेश किया गया।

बहस अभिभाषक प्रार्थी सुनी गई। बहस के दौरान वकील प्रार्थी द्वारा प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को दौहराया गया। वकील प्रार्थी का कथन है कि विवादित आराजी वाके ग्राम कस्बा छबडा तहसील छबडा में स्थित है प्रार्थी का उक्त भूमि पर कब्जा काश्त चला आ रहा है प्रार्थी के पिता भंवरलाल ने दिनांक 10.09.1987 की वसीयत की थी पिता द्वारा की गई वसीयत की पालना में पांचो भाई बराबर काश्त करते चले आ रहे है विवादित आराजी में अप्रार्थीगण का कोई हक व अधिकारी नही है प्रार्थी के पिता की मृत्यु दिनांक 20.03.1995 को हो चुकी है पिता की मृत्यु के पश्चात् फोती नामान्तरण में कन्याबाई व चमेली बाई का नाम भी खाते में जोड दिया गया। अप्रार्थीगण का विवादित आराजी में नाम दर्ज होने के कारण उक्त भूमि को बेचान करने पर आमादा है सुप्रीट कोर्ट के फैसला दिनांक 05.11.2015 के अनुसार सितम्बर 2005 से पूर्व पिता की मृत्यु हुई है तो हिन्दु उत्तराधिकार (संशोधन अधिनियम 2005 के प्रावधानों के अनुसार छोटी सम्पत्ति की वारिस नही होगी वसीयत दिनांक 10.09.1987 एवं सुप्रीम कोर्ट के फैसले के अनुसार विवादित भूमि से अप्रार्थीगण का नाम हटाया जाना आवश्यक है प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमाया जावें।

बहस के दौरान वकील अप्रार्थी का कथन है कि स्वं0 पिता भंवरलाल के द्वारा अपने जीवनकाल में कोई वसीयतनामा नही कि गई है वसीयतनामा आपराधिक षडयन्त्र रचकर तैयार की गई ह। जिसके द्वारा अप्रार्थीगण को भूमि से वंचित किया जा सकें। अप्रार्थी कन्या बाई अपने हिस्से की भूमि पर शान्तिपूर्वक काश्त करती चली आ रही है कन्या बाई प्रतिवादी को उसके हिस्से की भूमि से वंचित करना चाहता है पिता की मृत्यु को काफी लम्बा समय हो गया है यदि किसी प्रकार का कोई वसीयतनामा होता तो मृत्यु के तुरन्द बाद वसीयतनामा के आधार पर अपने खाते दर्ज करवानी चाहिये थी। भूमि का आपसी पारिवारिक बटवारा हिन्दु उत्तराधिकार अधिनियम में स्पष्ट प्रावधान है पिता की मृत्यु पर पुत्रों के समान ही पुत्रियों का अधिकार है पक्षकारान हिन्दु है जिन पर हिन्दू

उपखण्ड अधिकारी
छबड़ा (बारां)

राधिकार अधिनियम के प्रावधान लागु है राज0 टेनेन्सी एक्ट 212 के तहत स्पष्ट प्रावधान है कि सहभागी खातेदार के विरूद्ध किसी प्रकार का अस्थायी निषेधाज्ञा आदेश जारी नही किया जावेगा। सहभागी कृषक को अस्थायी निषेधाज्ञा की आड में उसके हिस्से की भूमि से वंचित नही किया जा सकता है प्रार्थी का प्रार्थना पत्र खारिज फरमाया जावें।

बहस अभिभाषक उभय पक्षकारान सुनी गई। पत्रावली एवं रिकार्ड का अवलोकन किया गया। प्रार्थी द्वारा दावा 188 आर0टी0एक्ट0 एवं धारा 136 एल0आर0एक्ट तथा 212 आर0टी0एक्ट0 पेश किया है प्रतिवादी/अप्रार्थीगण सहखातेदार कृषक है प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत वाद पत्र प्रथम दृष्टया मेंटेनबल नहीं है। प्रार्थी को खातेदारी अधिकार प्राप्त करने का वाद प्रस्तुत करना चाहिये था या वसीयत के आधार पर घोषणा का वाद लाना चाहिये था। अप्रार्थीगण सहखातेदार कृषक है भूमि का विभाजन नही हुआ है शामलाती खातेदारी की भूमि में अन्य सहखातेदारों को पाबन्द करना न्यायोचित नहीं है। प्रार्थी का प्रार्थना पत्र चलने योग्य नही होने से खारिज किया जाना न्यायोचित है।

:: क्रियात्मक आदेश ::

उपरोक्त विवेचनानुसार प्रार्थी का प्रार्थना पत्र चलने योग्य नही होने के कारण खारिज किया जाता है।

निर्णय लिखाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया।

(रामसिंह गुर्जर)
आर.ए.एस.
उपखण्ड अधिकारी, छबडा